महत्वपूर्ण

संख्या-7/2016/1100/31-2016-21/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, **लखनऊः दिनांकः 06 मई, 2016**

विषयः-शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप के अन्तर्गत योजना विलोपित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-06/2015-1386/31-2015-21/2015 दिनांक 30 अप्रैल, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु 03 सदस्यीय प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप का गठन किया गया है तथा आपके विभाग की निम्न परियोजना को समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप में सम्मिलित किया गया थाः-

क्र.स.	परियोजना का नाम	नोडल विभाग
1.	बैटरी पावर मोटराईज्ड रिक्शा योजना	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना को नियमित अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप से विलोपित कर दिया गया है।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-7/2016/1100(1)/31-2016-21/2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- श्री पार्थसारथी सेन शर्मा, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-7/2016/1100(2)/31-2016-21/2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2- निदेशक, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, उप्र0।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।